

प्ररूप बी वि वि प्रा-अभिकर्ता -V ख (विनियम 3 देखें) FORM IRDA-AGENT-VB(SEE REGULATION 3)



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ता अनुज्ञापन) विनियम, 2000
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (LICENSING OF INSURANCE AGENTS) REGULATIONS, 2000.

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, HYDERABAD

अनुज्ञप्ति सं **LICENCE NO: 882 10187175**

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के भाग 2 के अधीन बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति
LICENCE TO ACT AS AN INSURANCE AGENT UNDER PART II OF THE INSURANCE ACT, 1938 (IV OF 1938)

बीमा अभिकर्ता का नाम: **Gaurav Sahni**
NAME OF INSURANCE AGENT:
पता : **C-4E/217,,Janakpuri**
ADDRESS: **Delhi,Delhi**
Delhi -110058

विहित फीस के सँदधि पर और आवश्यक घोषणा करने पर एक जीवन बीमा का बीमा कारबार उपापत्त करने या उसके लिए आग्रह करने के लिए
03/09/2014 से 02/09/2017 के लिए बीमा अभिकर्ता का कार्य करने के लिए प्राधिकृत है
Having paid the prescribed fee and having made the necessary declaration is hereby authorized to act an insurance agent
from 03/09/2014 to 02/09/2017 for procuring or soliciting insurance business of one Life Insurer.

स्थान Place: Hyderabad
दिनांक Date: 03/09/2014

कृते बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
for Insurance Regulatory and Development Authority

अध्यक्ष Chairperson

Applicant Signature

अनुज्ञप्तिधारक के हस्ताक्षर Signature of Licence Holder

यह अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक विनियामक और विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर की अनुमति और इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत
व्यक्ति के आग्रह, अनुज्ञप्तिधारक के हस्ताक्षर और पहचान-पत्र उस पर न हो। अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति के प्राप्त होने ही उस पर हस्ताक्षर करने चाहिये।



अनुज्ञित व्यक्ति Authorized Officer

टिप्पण Notes

- यदि इस अनुज्ञप्ति को अतिरिक्त अवधि के लिए नवीकृत करने की वांछा है तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ता अनुज्ञापन) विनियम, 2000 के विनियमन 3 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा और नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व अभिहित व्यक्ति के पास पहुंच जाना चाहिये। इस संबंध में आपका ध्यान बीमा अधिनियम, 1938 की धारा की उपधारा (3) और (3क) के उपबंधों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।
- If it is desired to renew this licence for a further period the procedure laid down in Regulation 3 of INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (LICENSING OF INSURANCE AGENTS) REGULATIONS, 2000, shall be followed, and application for renewal should reach the Designated Person before the licence expires. In this connection attention is also invited to the provisions of sub-sections (3) and (3A) of section 42 of the Insurance Act, 1938.
- यह अनुज्ञप्ति, उसके अधीन विनोदित बीमा कारबार के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत करती है, और इस लिए कोई भी पहचान करने वाला चिन्ह या किसी ऐसे वर्णन का टिप्पण, जिसके द्वारा बीमकर्ता की पहचान हो सके, अनुज्ञप्ति पर नहीं रखा जाना चाहिये।
- This licence authorises the licence holder to act as an agent for the insurance business specified thereunder, and therefore no identifying mark or note of any description by which the identity of an insurer might be established should be placed on the licence.
- इस अनुज्ञप्ति पर कोई शुद्धि तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक बीमा विनियामक और प्राधिकरण के अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के उस पर आग्रह न हों।
- No correction in this licence will be valid unless initialled by the Insurance Regulatory and Development Authority or a person authorised by him in this behalf.
- अनुज्ञप्तिधारी का ध्यान बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ता अनुज्ञापन) विनियम, 2000 के विनियम 8 के अधीन विनोदित आचार संहिता की ओर आकृष्ट किया जाता है, और आचार-संहिता के किसी उल्लंघन का परिणाम अनुज्ञप्ति का रद्द करना होगा।
- The attention of the licence holder is drawn to the code of conduct specified under Regulation 8 of INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (LICENSING OF INSURANCE AGENTS) REGULATIONS, 2000, and any violation of code of conduct may result in cancellation of licence.